



2026:AHC:49561

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5576/2026

राम निहोर एवं अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 16 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मंजुलेश कुमार शुक्ला, योगेश दत्त मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 34 के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, तहसीलदार, रॉबर्ट्सगंज द्वारा दिनांक 25.11.2016 को उनके पक्ष में एक आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध होकर, निजी प्रतिवादियों द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी संख्या-3-उप-जिला मजिस्ट्रेट, ओबरा, सोनभद्र के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। उक्त अपील में दिनांक 25.11.2016 के आदेश को निरस्त कर दिया गया और मामले को वापस तहसीलदार के पास प्रेषित (रिमांड) कर दिया गया। उपरोक्त से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम, 1901 की धारा 219 के प्रावधानों के तहत निगरानी संख्या-124 वर्ष 2023 (कंप्यूटरीकृत संख्या सी202316000000124) दायर की, जिसे प्रतिवादी संख्या-2-अपर आयुक्त (न्यायिक), विंध्याचल मंडल, मिर्जापुर द्वारा आदेश दिनांक 30.10.2024 के माध्यम से खारिज कर दिया गया। उपरोक्त से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. यद्यपि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा उनके मामले के समर्थन में विभिन्न मौखिक दलीलें दी गईं, परंतु रिट याचिका के अभिवचनों से उनके द्वारा ऐसा कुछ भी इंगित नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता किन आधारों पर उपरोक्त आदेशों को चुनौती दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान रिट याचिका में प्रतिप्रेषण (रिमांड) के आदेश को चुनौती दी गई है।
3. अभिलेखों के अवलोकन और पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय पूरी तरह से संतुष्ट है कि रिमांड के आदेश से याचिकाकर्ताओं का कोई अहित नहीं हुआ है, अतः रिट याचिका खारिज होने योग्य है।
4. उपरोक्त के आलोक में, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

प्रमोद त्रिपाठी